

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर राशमी**

(पीवसीन अधिकारी कैम्प कॉटे) कैम्प :- भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र **राशमी**

प्रशासन गांवों के संग  
अभियान-2021

-: आदेश :-

**प्र0सं0 :- 342/2021**  
प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" के आवेदन पत्र एवं रिपोर्ट पटवारी पटवार हल्का **राशमी**....., भू अ0नि0 वृत्त **राशमी**..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी की राजस्व अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में मौजा ..... **राशमी**..... तहसील राशमी व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत ..... **2026** के खाता संख्या **318**..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये जाते है :-

क्र. सं.	मौजा	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<b>राशमी</b>	<b>318</b>	<b>दूरी पालन नष्ट</b>	<b>शुद्धी देवी पति नाथ</b>



**राशमी**  
सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)

क्रमांक: सरिश्ता/5-11(942)2021 दिनांक :- **31.12.2021**  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री **शुद्धी देवी पति नाथ**..... को सूचनार्थ।

**राशमी**  
सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)